तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं॰ व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 124 / 2022 अंतर्गत धारा–76 एल.आर.एक्ट

(GCMS No. 2022/157)

अनवान:

श्रीमती आशा पारीक उर्फ अर्चना पत्नि श्री रवि व्यास पुत्री स्व. जगन्नाथ निवासी अशोका फर्नीचर्स के सामने, पारीक क्वार्टर्स, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर। आशा पारीक

बनाम

सरला देवी उर्फ शीला पत्नि स्व. ओमप्रकाश ब्राह्मण निवासी शनिश्चरजी मंदिर के पास, बी.के. स्कूल के पीछे, डागा मौहल्ला, बीकानेर व नगर विकास न्यास बीकानेर वगैरह।

19.10.22

आज यह पत्रावली राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त होने पर पेशी में ली गई। अभिभाषक प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित। अपीलांट श्रीमती आशा पारीक उर्फ अर्चना ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजीनामा के आधार जरिये विड्रो खारिज करने का निवेदन किया। उक्त पत्रावली रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत करने पर तलब की गई। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अभिभाषक निगरानीकर्ता ने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2022 पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से तथा समाज के मौजिज व्यक्तियों की समझाईश से राजीनामा हो गया है और वर्तमान में मुतनाजा भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं रहा है, जिस पर निर्णय पारित करते हुए राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने दिनांक 29.08.2022 को जरिये विड्रावल खारिज कर दिया तथा इस न्यायालय की तलब की गई पत्रावली को लौटा दिया। प्रार्थी इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं जरिये विड्रावल खारिज कराना चाहते है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक श्री विनोद कुमार पुरोहित ने उक्त के संदर्भ में उपस्थित होकर अपनी अनापत्ति (No Objection) दे दी है।

No objection

संभागीय आयुक्त बीकानेर

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारों का आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है।

अब इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं जरिये विड्रो खारिज कराना चाहते है। यह अपील अपीलांट जरिये विड्रावल (withdrawal) इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर